नगर परिषद - डलहौज़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017
भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिकः-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 /81-फिन (एल०ए०) खण्ड –(ख) IV/ दिनांक 10.10.2008 नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद डलहौज़ी के लेखों (अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017) का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :-

(i) प्रधान, नगर परिषद

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री मनोज चड्डा	1.4.2014 से लगातार

(ii) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री मति राखी कौशल	01.04.14 से लगातार

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण :-

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹)लाखों में
1	बैंक द्वारा नगर परिषद के खाते में राशियों को जमा न करने बारे	4(क) (ii)	0.33
2	दिनांक 31.03.17 को अनुदान राशि व्यय हेतु शेष	5 (क)	333.53
3	अनुदान राशि का सम्भावित दुरूपयोग	5 (ख)	332.79
4	गृह कर की बकाया राशि की वसूली न करना	6 (क)	93.86
5	नगर परिषद क्षेत्र में संचालित होटलों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार न करने के फलस्वरूप हुई वितीय हानि	6 (ख)	408.14
6	गृहकर की गणना नियमों के अनुसार न करने के परिणामस्वरूप हुई वितीय हानि	6 (ग)	7.39
7	दिनांक 31.03.17 तक दुकानों के किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	7 (क)	75.19
8	जल प्रभार (water tax) की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	8	16.78
9	Conservancy tax की बकाया राशि की वसूली न करना :-	9	18.57

10	दिनांक 31.03.17 को विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस वसूली हेतु शेष	10	3.51
11	सिनेमा सिनेमा हाल भवन के किराये की बकाया राशि की वसूली न करना	12	7.08
12	पट्टा सम्पति को hold Free में परिवर्तित करवाने के एवज में देय राशि को प्राप्त न करना	13	744.19
13	संविदाकार को गणना में त्रुटि होने के कारण अधिक भुगतान	14 (क)	0.55
14	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य पर अधिक व्यय करना	14 (ख)	16.21
15	विचलन राशि की सक्षम अधिकारी से स्वीकृती प्राप्त किए बिना भुगतान करना	14 (ग)	11.10
16	भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, **शिमला द्वारा** नगर परिषद डलहौज़ी के विरुद्ध आदेश पारित करने **के कारण नगर परिषद खाते से EPFO के खाते में राशि हस्तांतरित करने बारे**	17	8.09
17	स्थापना पर अनियमित व्यय	18 (क)	270.81
18	Placement प्रदान करने पर गलत वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान	18 (ख)	0.42
19	स्टाफ अग्रिम समायोजन हेतु शेष	20 (क)	0.69
20	हिमाचल प्रदेश वन निगम को 1035 पेड़ों की आपूर्ति के एवज में राशि प्राप्त न करना	20 (ग)	57.45

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर परिषद डलहौज़ी के लेखों अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण कार्य श्री विजय कुमार वालिया, (सहायक नियन्त्रक) तथा श्री नरेन्द्र कुमार, (आ.स.) द्वारा दिनांक 06.11.17 से 12.01.2018 तक डलहौज़ी मे किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	04/2014	05/2014
2015-16	03/2016	03/2016
2016-17	03/2017	07/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद **डलहौजी, जिला चम्बा द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई हैं, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं है । अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित माह तक सीमित है ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

नगर परिषद **डलहौजी, जिला चम्बा** के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण **का अंकेक्षण** शुल्क ₹80000 आँका गया । उक्त **अंकेक्षण शुल्क की** राशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या FIN(LA)C/K&C/2018-4 दिनांक 02.01.2018 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में नगर परिषद द्वारा ड्राफ्ट संख्या- 816528 दिनांक 05.01.2018 **द्वारा उक्त राशि को** निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया ।

4 वितीय स्थिति :-

नगर परिषद के अवधि 01/04/14 से 31/03/17 के विभिन्न निधि लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है व जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है।

(क) मुख्य रोकड़ वही (M.C.Fund) :-

वित्तीय वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
प्रारम्भिक शेष	947674.99	2232964.99	2211081.99
अपने स्त्रोतों से आय	12508148	21349512	14638450
अनुदान राशि	0	0	0
ब्याज	23886	42987	45671
Development खाते से हंस्तान्तरित राशि	14597000	6100000	12000000
कुल राशि	**28076708.99**	**29725463.99**	**28895202.99**
व्यय	25843744	26514382	27853295
Development खाते को हंस्तान्तरित राशि	0	1000000	550000
अंतिम शेष	2232964.99	2211081.99	491907.99

दिनांक 31.03.17 को रोकड़वही में अन्तिम शेष : ₹491907.99

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹1582796.20

अन्तर की राशि : ₹1090888.21

(कृप्या बैंक समाधान विवरण देखें)

बैंक समाधान विवरण – 31.03.17

क्रम स.		विवरण			डेबिट	क्रेडिट
		Balance as per cash book			491907.99	
1	Add:	**Cheque issued but not encashed in bank:-**				
		Date	**Cheque no.**	**Amount**		
		01.01.15	498650	7208		
		25.03.17	688495	7735		
		31.01.17	694719	10011		
		25.03.17	688496	10000		
		28.03.17	688499	48000		
		29.03.17	688501	180100		
		29.03.17	688502	93158		
		29.03.17	688503	6000		
		29.03.17	688504	10800		
		29.03.17	688505	23000		
		29.03.17	688506	9600		
		29.03.17	688507	10800		
		29.03.17	688508	10800		
		29.03.17	688509	10800		
		29.03.17	688510	10800		
		29.03.17	688511	7200		
		29.03.17	688513	7450		
		29.03.17	688514	19552		
		29.03.17	688515	1966		
		29.03.17	688516	988651		
		29.03.17	688517	58955		
		29.03.17	688518	24900		
		29.03.17	688519	4000		
		29.03.17	688520	7000	1568486	
2.	**Less:**	**Income deposited into bank through challan but not credited by bank :-**				
		Income dated 30.03.06 deposited on 31.03.06		2064		
		Income dated 15.05.07 deposited on 17.05.07		9554		
		Income dt.14.11.12 challan no.247 dt.15.11.12		710		
		Income dt.20.07.16 challan no. 460 dt.20.07.16		265		
		Income dt.30.03.17 challan no.91 dt.31.03.17		29629		
		Income dt.31.03.17 challan no.92 dt.03.04.17		4680		
		Income dt.31.03.17 challan no.94 dt.03.04.17		87529		
		Income dt.31.03.17 challan no.95 dt.03.04.17		3456		
		Income dt.31.03.17 challan no.96 dt.03.04.17		744		
		Income dt.31.03.17 challan no.97 dt.03.04.17		664454		
		Income dt.31.03.17 challan no.98 dt.03.04.17		6232		
		Income dt.31.03.17 challan no.99 dt.03.04.17		7617		
			Total	**816934**		**816934**
3	**Less:**	**Bank charges debited by bank but not entered in cash book:-**				
		Date	**Vide G-8 no.**	**Amount**		

	15.10.16 30/28	288			
	27.12.16 44/29	33			
	03.03.17 98/29	230		551	
4	Dated 05.09.14 amount excess deposited into bank i.e.Rs.12314 instead of Rs.12134 income on dated 22.10.13		180		
5	Dated 02.11.16 expenditure booked in cash book but not cleared into bank.		400		
6	Amount transfer through NEFT on dated 12.12.16 from PNB but not entered in cash book		18827		
7	Interest credited by bank but not entered in cash book on dated 31.03.17(HPSCB)		3115		
8	Interest credited by bank but not entered in cash book on dated 25.03.17		8989		
9	Bank charges refunded by bank on dated 30.03.17		3000		
10	Bank charges refunded by bank on dated 30.03.17		3216.06		
11	Excess payment to M/s Neel Kamal vide cheque no. 162620 dt.04.04.16 i.e. Rs.125419 instead of Rs.125149/-				270
12	Bank charges debited by bank on dt.03/17 but not entered in cash book:-				402.50
13	Bank charges debited by bank on dt.03/17 but not entered in cash book:-				75.29
14	Amount wrongly taken in cash book o.bal. as on 01.03.17 i.e. Rs.274876 instead of Rs.274836/-				40
15	Amount paid in cash book Rs.6216/- instead of Rs.6216.06 vide v.no.29 dt. 03.2016				0.06
16	Amount deducted by CEO Dalhousie (book entry) due to two dry deodar trees wrongly marked by MC-Dalhousie during the lot of timber given to HP forest Corp (i.e. Rs.967402-664454)		302948		
	Balance as per various banks (Please see detail given below)				1582796.20
	Total Rs.		**2401069.05**		**2401069.05**

Detail of closing balance as per various bank a/cs as on 31.03.17:-

Name of bank	**Account no.**	**Closing balance (in ₹)**
SBI	11321778123	1359019.21
PNB	10973	31977.10
PNB	0106000100079853	32491.89
HPSCB	18210105871	159308.00
Total closing balance		**1582796.20**

(ख) Development account रोकड़वही :-

वित्तीय वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
प्रारम्भिक शेष	5520113.84	262570.84	871647.84
अपने स्त्रोतों से आय	456205	0	443940
अनुदान राशि	16860154	17957894	16527320

ब्याज	188129	102478	69447
MC निधि खाते से हंस्तान्तरित राशि	0	1000000	550000
कुल राशि	**23024601.84**	**19322942.84**	**18462354.84**
व्यय	9065031	11051295	6452883
MC निधि खाते को हंस्तान्तरित राशि	13697000	7400000	12000000
अंतिम शेष	262570.84	871647.84	9471.84

दिनांक 31.03.17 को रोकड़वही में अन्तिम शेष : ₹9471.84

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹28583.84

अन्तर की राशि : ₹19112

(कृप्या बैंक समाधान विवरण देखें)

SBI-Dalhousie a/c no. 11321778587 as on 31.03.17 Rs. 28583.84

बैंक समाधान विवरण - 31.03.17

क्र.स.	**विवरण**	**डेबिट**	**क्रेडिट**
	Balance as per cash book	9471.84	
1	**Amount directly deposited into bank but not entered in cash book:-**		
	Dated 06.05.10	50	
	Dated 07.05.10	25	
	Dated 21.09.10	2150	
	Dated 22.09.10(603+41)	644	
	Dated 08.07.11	4219	
	Dated 12.08.14	8210	
	Dated 24.11.14	5099	
	Dated 30.06.15	500	
2	**Bank charges deducted by bank but not entered in cash book :-**		
	Dated 03/2014		455
	Dated 30.06.14		45
	Dated 31.12.14		85
	Dated 15.06.15		200
3	**Excess payment to Sh. Kishori lal Cont. on dated 04.09.13**		1000
	Balance as per pass book		28583.84
		30368.84	**30368.84**

(ग) BRGF रोकड़वही :-

वित्तीय वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
प्रारम्भिक शेष	1377120	366005	61455
अपने स्त्रोतों से आय	0	0	0
अनुदान राशि	0	0	0

ब्याज	44550	9394	3105
MC व Development खाते से हंस्तान्तरित राशि	0	900000	0
कुल राशि	**1421670**	**1275399**	**64560**
व्यय	155665	1213944	1500
MC व Development खाते को हंस्तान्तरित राशि	900000	0	0
अंतिम शेष	366005	61455	63060

दिनांक 31.03.17 को रोकड़वही में अन्तिम शेष : ₹ 63060

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹63060

अन्तर की राशि : शून्य

SBI-Dalhousie a/c no.30649599728 as on 31.03.17 ₹63060

(घ) Pension & Gratuity a/c रोकड़वही :-

वित्तीय वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
प्रारम्भिक शेष	9713.38	10151.38	50473.38
पेंशन व ग्रेच्युटी Share	3414266.00	4929567.00	4146360.00
ब्याज	438.00	4936.00	985.00
Development खाते से हंस्तान्तरित राशि	0	400000.00	0
कुल राशि	**3424417.38**	**5344654.38**	**4197818.38**
व्यय	3414266.00	5294181.00	4192626.00
अंतिम शेष	10151.38	50473.38	5192.38

दिनांक 31.03.17 को रोकड़वही में अन्तिम शेष : ₹5192.38

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹5296.38

अन्तर की राशि : ₹104

SBI-Dalhousie a/c no.11321777797 as on 31.03.17 ₹5296.38

Bank Reconciliation Statement as on 31.03.17

	Particulars	**Debit**	**Credit**
	Closing balance as per cash book	**5192.38**	
Add:-	Interest credited by bank but not entered in cash book on dated 25.12.16 & 25.03.17 (52+52)	104.00	
	Closing balance as per pass book		**5296.38**
	Total Rs……	**5296.38**	**5296.38**

(ङ) SJSRY a/c रोकड़ बही :–

वित्तीय वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**

प्रारम्भिक शेष	1044.95	1044.95	1044.95
आय	0	0	0
ब्याज	0	0	145
कुल राशि	1044.95	1044.95	1189.95
व्यय	0	0	0
अंतिम शेष	1044.95	1044.95	1189.95

दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही में अन्तिम शेष: ₹1189.95

दिनांक 31.3.17 को बैंक खातों में शेष ₹1189.95

(कृपया परिशिष्ट "ख" पर विवरण देखें)

अन्तर की राशि शून्य

SBI Dalhousie a/c No. 11321777639 as on 31.3.17 ₹1189.95

4 (क)(i) ₹7208 चैक की राशि को बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत न करना:-

बैंक नगर परिषद के सामान्य खाते की बैंक समाधान विवरणी की जाँच में पाया गया कि लग-भग 3 वर्ष पूर्व भुगतान हेतु चैक जारी किया गया था लेकिन अभी तक यह चैक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि चैक की वैधता निर्गमन से 3 माह तक ही होती है I अत: यह चैक कालातीत हो चुका है I अत: सम्बन्धित बैंक से इस भुगतान की पुष्टि करने के पश्चात ₹7208 रोकड़वही के आय पक्ष में वापिस लेना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में यह चैक बैंक समाधान विवरणी में प्रदर्शित न हो चैक का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Date	Cheque no.	Amount
01.01.15	498650	7208

4 (क)(ii) ₹0.33 लाख को बैंक द्वारा नगर परिषद के खाते में जमा न करने बारे:-

नगर परिषद के सामान्य खाते (MC Fund) व विकास निधि खाते की बैंक समाधान विवरणी की जाँच में पाया गया कि विभिन्न चालानों द्वारा ₹33490 को बैंक में जमा करवाया गया लेकिन लम्बी अवधि के पश्चात् भी बैंक द्वारा इन राशियों को नगर परिषद के खाते में क्रेडिट नहीं किया गया I अत: इस प्रकरण को सम्बन्धित बैंक में प्राथमिकता से उठाया जाए व उक्त राशि को अतिशीघ्र नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें **तदानुसार अपेक्षित** अनुपालना से **इस विभाग को भी** अवगत करवाया जाए I उक्त राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Income deposited into bank through challan but not credited by bank :-

Income dated 30.03.06 deposited on 31.03.06	2064	M.C.Fund
Income dated 15.05.07 deposited on 17.05.07	9554	M.C.Fund
Income dt.14.11.12 challan no.247 dt.15.11.12	710	M.C.Fund
Income dt.20.07.16 challan no. 460 dt.20.07.16	265	M.C.Fund
Dated 06.05.10	50	Development fund
Dated 07.05.10	25	Development fund
Dated 21.09.10	2150	Development fund

Dated 22.09.10(603+41)	644	Development fund
Dated 08.07.11	4219	Development fund
Dated 12.08.14	8210	Development fund
Dated 24.11.14	5099	Development fund
Dated 30.06.15	500	Development fund
Total Rs.	**33490**	

4 **(ख)(i) ₹1000 का बैंक द्वारा अधिक भुगतान:-**

विकास कार्यों की बैंक समाधान विवरणी की जाँच में पाया गया कि श्री किशोरी लाल (संविदाकार) को चैक संख्या-924588 दिनांक 26.09.13 द्वारा ₹171142 के विरुद्ध बैंक द्वारा ₹172142 का भुगतान कर दिया गया जिससे नगर परिषद को ₹1000 की हानि हुई I अत: इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद के खाते में जमा करना सुनिश्चित करेंI

5 **अनुदान;-**

नगर परिषद डलहौज़ी की अंकेक्षणाधीन अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक प्राप्त अनुदान राशियों व व्यय की गई राशियों तथा अनुदान के अन्तशेष राशि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिनका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है। परिशिष्ट के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:-

वित्तीय वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17
प्रारम्भिक शेष	37213506	36443794	35236725
अनुदान राशि	16860154	17957894	16527320
कुल राशि	54073660	54401688	51764045
व्यय	17629866	19164963	18411253
अंतिम शेष	36443794	35236725	33352792

(क) दिनांक 31.03.17 को अनुदान ₹333.53 लाख व्यय हेतु शेष:-

अनुदानों व उनसे प्राप्त की गयी राशि की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.1 7 को ₹**33352792 अनुपयुक्त** पड़ी थी जबकि अनुदानों से संबन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक अथवा दो वर्ष के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित **थी**। अतः अनुपयोग इन अनुदान राशियों को समयवध उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयोग राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं उदेश्य जिन हेतु यह राशियाँ प्राप्त हुई थी, व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित **संस्था**/विभाग को किया जाये **तदानुसार अपेक्षित** अनुपालना से इस विभाग को **भी** अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदान ₹332.79 लाख का सम्भावित दुरूपयोग :-

अवधि 01/04/2014 से 31.03.2017 के अनुदान से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹33352792 नगर परिषद डलहौज़ी के पास उपयोग हेतु शेष थी जबकि विकास कार्यों की विभिन्न रोकड़वहियों (BRGF+ Development+ SJSRY) में दिनांक 31.03.17 को मात्र ₹73722 (63060+9472+1190) ही अन्तशेष/उपलब्ध थी अर्थात नगर परिषद द्वारा ₹33279070/- (33352792-73722) को किन्ही अन्य अनाधिकृत उद्देश्यों के

लिए प्रयोग किया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 124 दिनांक 16.12.2017 कार्यकारी अधिकारी को उक्त अनियमितता के बारे में अवगत **करवाने हेतु अनुरोध किया गया था** लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक **उनके द्वारा** कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।

अत: अनुदान राशियों का प्रयोग स्वीकृत कार्य पर न करके अन्य कार्यों पर करना एक गंभीर अनियमितता है। इस प्रकरण को निदेशक, शहरी विकास **विभाग** के ध्यानार्थ लाया जाता है ताकि इस सन्दर्भ में उचित कर्यवाही अमल लाई जा सके तथा नगर परिषद प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब इस राशि की प्रतिपूर्ति कर अनुदान राशियों के उद्देश्यों के अनुसार व्यय किया जाए ताकि अनुदान रशियों के सदुपयोग के साथ – साथ नगर परिषद क्षेत्र का विकास भी हो सके।

6 (क) गृह कर की बकाया ₹93.86 लाख की वसूली न करना :-

नगर परिषद की आय का मुख्य साधन गृहकर है, जिससे प्राप्त आय को वहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए **व्यय** किया जाता है लेकिन नगर परिषद को दिनांक 31.03.17 तक ₹9386039 गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "घ"** में दिया गया है, जो कि एक अति गम्भीर वितीय अनियमितता का **प्रकरण** है। अतः इसे शीघ्र वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

(ख) नगर परिषद क्षेत्र में संचालित होटलों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार न करने के फलस्वरूप ₹408.14 लाख की हानि:-

जाँच में पाया गया कि नगर परिषद डलहौज़ी क्षेत्र में कुल 80 होटल, पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत हैं इन होटलों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को प्रतिवर्ष ₹13604656 की हानि हो रही है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या- FIN(LA)C/K - C/2017-121 दिनांक 14.12.17 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक होटलों के गृहकर निर्धारण सम्बन्धित नियमों से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया। अत: अन्य नगर परिषदों में होटलों के गृहकर निर्धारण सम्बन्धित गणना के आधार पर पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित होटलों की किराये की दरों पर 45 दिन की Occupancy के आधार पर गृहकर का निर्धारण करने पर पाया गया कि अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक ₹40813968 (13604656 x 3) की वितीय हानि हुई थी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट " ड."** पर दिया गया है। अत: समस्त होटलों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार होटलों के संचालन की अवधि से करके एवं समस्त बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित करें। **तदानुसार अपेक्षित** अनुपालना से **इस विभाग को भी** अवगत करवाया जाए।

(ग) गृहकर की गणना नियमों के अनुसार न करने के परिणामस्वरूप ₹7.39 लाख की वितीय हानि के संदर्भ में:-

जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा भवनों के गृहकर की गणना नगर पालिका अधिनियम – 1994 में वर्णित नियमों के अनुसार नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप नगर परिषद को लाखों रुपये की हानि हो रही है। अंकेक्षण के अवलोकन पर पाया गया कि किराये के भवनों में चलित बैंकों के किराये के समझौते में कर का निर्धारण अपेक्षित किराये से कम करके गृह

मालिकों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को दिनांक 31.03.17 तक ₹739376 की हानि हुई जिसका विवरण **परिशिष्ट "च"** पर दिया गया है।

अत: नगर परिषद क्षेत्र में स्थित समस्त भवनों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार करना सुनिश्चित करें तथा देय ₹739376 की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 **(क) दिनांक 31.03.17 तक दुकानों के किराये की बकाया ₹75.19 लाख वसूली हेतु शेष**

नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर दुकानों /स्टालों /खोखों इत्यादि का निर्माण किया गया है तथा उन्हें किराये/पट्टे पर चढ़ाया गया है तथा इनका किराया परिषद की आय का मुख्य स्त्रौत है। नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "छ"** पर दिया गया है, के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक किराये के रूप में ₹7519285 वसूली हेतु **शेष** थी। जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू०एल०बी० एच०ए०(7) -1/87-9237/9284 दिनांक 20.06.01 के द्वारा करों इत्यादि की शत प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गए थे लेकिन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद डलहौज़ी द्वारा इस सम्बंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये जो कि चिन्ताजनक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जाएँ। वसूली योग्य कुल राशि में से ₹6541101 केवल 43 दुकानदारों से वसूलना शेष थी जिनका विवरण भी **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है।

8 **जल प्रभार (water tax) की बकाया ₹16.78 लाख वसूली हेतु शेष**

जाँच में पाया गया कि 31.03.17 को जल प्रभार के रूप में ₹1677780 वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "ज"** पर दिया गया है, यह राशि दिनांक 31.03.14 से पूर्व अवधि की वसूली हेतु शेष है जो कि एक अति गम्भीर वितीय अनियमितता का **प्रकरण** है। इस प्रकरण को नगर परिषद प्रशासन के ध्यानार्थ लाया जाता ताकि काफी लम्बे समय से पड़ी उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाएं **तदानुसार अपेक्षित** अनुपालना से **इस विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।**

9 **Conservancy tax की बकाया ₹18.57 लाख की वसूली न करना :-**

जाँच में पाया गया कि 31.03.17 को Conservancy tax के रूप में ₹1856571 वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "झ"** पर दिया गया है, यह राशि दिनांक 31.03.14 से पूर्व अवधि की वसूली हेतु शेष है, जो कि एक अति गम्भीर वितीय अनियमितता का **प्रकरण** है। इस प्रकरण को नगर परिषद प्रशासन के ध्यानार्थ लाया जाता ताकि काफी लम्बे समय से पड़ी उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाएं **तदानुसार अपेक्षित** अनुपालना **उपरान्त** अंकेक्षण को **भी** अवगत **करवाया जाए**।

10 **दिनांक 31.03.17 को विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस के रूप में ₹3.51 लाख वसूली हेतु शेष :-**

मोबाइल टावरों के रजिस्टर की जांच में पाया कि दिनांक 31.03.17 को विभिन्न मोबाईल टावरों के नवीनीकरण **शुल्क** के रूप में ₹351250 वसूली हेतु शेष थे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

बी.एस.एन.एल.टॉवर.	37500
एयरटेल टॉवर	63750
टाटा टावर	46250
रिलायंस	123750
AIRCEL	65000
वोडफोन	15000
कुल राशि	**₹351250**

उपरोक्त शुल्क का परिशिष्ट "ञ" पर विस्तारपूर्वक विवरण दिया गया है। अत: उक्त बकाया राशि ₹351250 को वसूली अतिशीघ्र की जाए तथा **अपेक्षित** अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया **जाए**।

11 वाहन पार्किंग से प्राप्त किराये पर ₹5.66 लाख के सेवाकर का भुगतान न करना :-

नगर परिषद द्वारा वाहन पार्किंगों को विभिन्न संविदाकारों को ठेके पर दिया गया था, जाँच के दौरान पाया गया कि वाहन पार्किंग किराये पर केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को सेवाकर का भुगतान किया जाना देय था जोकि भुगतान नहीं किया गया था।

केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- 29/2012 दिनांक 20.06.12 व सेवाकर अधिनियम के अनुसार वाहन पार्किंग किराये से प्राप्त आय पर दिनांक 01.07.12 से सेवाकर का भुगतान किया जाना अपेक्षित था लेकिन अंकेक्षण जाँच के दौरान पाया गया कि अवधि 2014-15 से 2016-17 के दौरान वाहन पार्किंग से प्राप्त किराये पर निम्न विवरणानुसार देय सेवाकर ₹565759 का केन्द्रीय आबाकारी एवं कराधान विभाग को भुगतान नहीं किया गया था।

माह/वर्ष	किराये से प्राप्त राशि	सेवाकर दर %	सेवाकर की भुगतान योग्य राशि
04/2015	1252020	12.36	154750
04/2016	1328340	14.50	192609
04/2017	1456000	15.00	218400
		कुल राशि	**₹565759**

अत: सेवाकर अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को सेवाकर का भुगतान न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सेवाकर ₹565759 की वसूली उचित स्त्रोत से करके केन्द्रीय आबाकारी एवं कराधान विभाग को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सरकारी प्राप्तियों को समय पर जमा न करने के कारण यदि केन्द्रीय आबाकारी एवं कराधान विभाग द्वारा कोई दण्ड (Penality) लगाया जाता है तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का उतरदायित्व होगा। अत: उपरोक्त देय सेवाकर की राशि का सम्बन्धित विभाग को भुगतान करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवलोकन पर यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा विभिन्न संविदाकारों

से किए गए अनुबंध में सेवा कर लगाने की शर्त को अलग से शामिल नहीं किया गया था। अत: भविष्य में नगर परिषद द्वारा वाहन पार्किंग से सम्बन्धित विभिन्न संविदाकारों से किए गए अनुबंध में सेवा कर की शर्त को अलग से शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद से बचा जा सके तथा नियमानुसार देय सेवाकर का समय पर भुगतान भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 सिनेमा हाल भवन के किराये की बकाया ₹7.08 लाख की वसूली न करना :-

जाँच में पाया गया कि श्री रविकांत वालिया द्वारा जून, 2004 के पश्चात सिनेमा हाल भवन के किराये का भुगतान नगर परिषद को नहीं किया गया था। इस प्रकार दिनांक 31.03.2017 तक ₹704370 **वसूली** हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Years	Municipal Rent	Water tax	Conservancy Tax	G.C.C.	Total outstanding amount
2004-05	36501	220	440		37161
2005-06	40151	2410	4820		47381
2006-07	40151	2410	4820		47381
2007-08	40151	2410	4820		47381
2008-09	46174	2770	5541		54485
2009-10	46174	2770	5541		54485
2010-11	46174	2770	5541		54485
2011-12	53100	3186	6372		62658
2012-13	53100	3186	6372		62658
2013-14	53100	NA	NA	1800	54900
2014-15	61065	NA	NA	1800	62865
2015-16	61065	NA	NA	0	61065
2016-17	61065	NA	NA	0	61065
Total Rs.	**637971**	**22132**	**44267**	**3600**	**707970**

हिमाचल प्रदेश Municipal अधिनियम -1994 की धारा 86 (2) के अंतर्गत बकाया किराये की वसूली हेतु श्री रविकान्त वालिया को legal notice भी भेजा गया था, लेकिन आज तक कोई भी बकाया राशि की वसूली नहीं जा सकी है। यह एक अत्यन्त गम्भीर वितीय अनियमितता का **प्रकरण** है**,** जिसका उल्लेख गत अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2010 से 03/2012 के पैरा संख्या – 8(10)(II) में भी किया गया था। अत: इस प्रकरण को निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि इस **प्रकरण** की विस्तृत छानबीन करके परिषद को अनावश्यक हानि से बचाने हेतु आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जाए ।

13 पट्टा सम्पति को Freehold में परिवर्तित करवाने के एवज में देय ₹744.19 लाख को प्राप्त न करना:-

अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश के पत्रांक संख्या – D(G)6-4/2016 दिनांक 9/2016 के क्रम संख्या –(i) के अंतर्गत पट्टा मालिक द्वारा पट्टा सम्पति को freehold करने हेतु पट्टे (lease) पर दी गई land built-up area पर पट्टाधारी से ₹500 प्रति square मीटर की दर से वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा क्रम संख्या – (iii) के अनुसार

“ The concerned lease holder shall apply before the concerned Revenue/Registration officer, i.e. Deputy Commissioner or Tehsildar/Nayab Tehsildar alongwith all relevant revenue/other documents for registration of sale deed”.

नगर परिषद डलहौज़ी द्वारा 53 मामलों में British Regime में सरकारी भूमि विभिन्न एजेंसियों को 1931 से पट्टे पर दी गई थी जोकि freehold की गई है तथा जिसका पट्टा मालिक नगर परिषद डलहौज़ी स्वयं है, जिसके परिणामस्वरूप नगर परिषद द्वारा पट्टा सम्पति को freehold करने पर देय ₹74419000 प्राप्त नहीं की गई थी (विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ञ–1"** पर दिया गया है) तथा विभिन्न पट्टाधारियों द्वारा इस राशि को राजस्व अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाया जा रहा है, जबकि इस सम्पत्ति का Beneficiary trustee नगर परिषद डलहौज़ी है। जिसके सन्दर्भ में परिषद द्वारा उक्त राशि को वसूल करने हेतु कार्यवाही रजिस्टर में प्रस्ताव संख्या- 67 (3) के अंतर्गत यह निर्णय लिया कि पट्टा सम्पत्ति को freehold करने की लागत/मूल्य को नगर परिषद द्वारा प्राप्त किया जाएगा तथा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद डलहौज़ी के पत्रांक संख्या – 322/DMC दिनांक 06.12.2017 द्वारा निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला से इस **प्रकरण** के बारे में पत्राचार किया गया था I इसके अतिरिक्त पट्टा सम्पत्ति को freehold करवाने हेतु नगर परिषद से No objection certificate लिया जाना भी आवश्यक है, जोकि नहीं लिया जा रहा है I यह एक अत्यंत गंभीर वितीय अनियमितता है।

अत: इस प्रकरण को निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि इस **प्रकरण** की विस्तृत छानबीन करके परिषद को अनावश्यक हानि से बचाने हेतु आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही अम्ल में लाने का विचार किया जाए ।

Development work cash book :-

14 संविदाकार को गणना में गलती के कारण ₹0.55 लाख का अधिक भुगतान:-

(वाउचर स.1, माह 05/2014, ₹1257486/-)

Name of work :	C/o Community hall building in the top of existing Municipal office building at Dalhousie.
Name of Contracter :	Sh. T.R.Kapoor, Govt. Contracter
Bill no. :	Ist running bill to 2nd running bill
Work order no.	1036/DMC dated : 28.08.2012
M.B.no./page no.	12 page 15 to 24

नगर परिषद डलहौज़ी द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य को करवाने हेतु अनुमानित लागत (Civil works only) ₹1079244 के आधार पर टेन्डर आमन्त्रित किए गए जिसमें संविदाकारों ने अपनी दरें प्रस्तुत कीं और न्यूनदर के आधार पर संविदाकार श्री T.R.Kapoor को negotiation के उपरान्त यह कार्य कुल लागत ₹1476118.17 में नगर परिषद के पत्रांक संख्या – 1036/DMC दिनांक 20.08.2012 द्वारा आबंटित किया गया हैI

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित बिल की जाँच/अवलोकन करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं :-

(क) बिल की जाँच करने पर पाया गया कि गणना (calculations) की चूक के कारण ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार ₹55418 का अधिक भुगतान किया गया I

मद का संक्षिप्त विवरण	भुगतान की गई मात्रा	वास्तविक मात्रा	अन्तर	दर	अधिक भुगतान की गई राशि
P/F pretained steel sheets of 0.60 mm thick	381.58 m2	329.15 m2	52.43 m2	1057	55418

अत: अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके **अपेक्षित** अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए I

(ख) सक्षम अधिकारी की स्वीकृती प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य पर ₹16.21 लाख का अधिक व्यय करना:-

जाँच में पाया गया कि 2nd running बिल तक ₹2260515 का कुल कार्य निष्पादित किया गया था जबकि निदेशक, शहरी विकास, हि.प्र.-शिमला को प्राकलन ₹1079244 **का** स्वीकृती हेतू प्रस्तुत **किया गया** व इस राशि के विरुद्ध पत्रांक संख्या-UD-H(F)(1)-10/97-XI-6682-84 दिनांक 04.04.2013 के अंतर्गत SJSRY (wage component) में Construction of community hall in Municipal Council-Dalhousie हेतू केवल ₹64000 ही स्वीकृत किए गए थे I

इसके अतिरिक्त नगर परिषद डलहौज़ी द्वारा ₹3296000 का संशोधित प्राकलन (estimate) तैयार करके पत्रांक संख्या- 84/DMC दिनांक 12.02.2014 द्वारा निदेशक, शहरी विकास, हि.प्र.-शिमला को स्वीकृती व अनुदान प्रदान करने हेतू भेजा गया लेकिन दिनांक आज तक कोई भी अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई और न ही संशोधित प्राकलन की स्वीकृती प्राप्त हुई I

इस प्रकार निदेशक, शहरी विकास, हि.प्र.-शिमला की स्वीकृती लिए **बिना** ₹1620515 (2260515-640000) उक्त कार्य हेतू अधिक खर्च कर ली गई I अत: उक्त कार्य हेतू ₹1620515 **के** अधिक **व्यय** करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा यथाशीघ्र सक्षम अधिकारी की स्वीकृती लेकर अधिक **व्यय** की गई राशि को नियमित करवाकर **अपेक्षित** अनुपालना से इस विभाग को **भी** अवगत करवाया **जाना सुनिश्चित किया जाए।**

(ग) विचलन (Deviation) ₹11.10 लाख की सक्षम अधिकारी से स्वीकृती प्राप्त किए बिना भुगतान करना:-

उपरोक्त कार्य के प्रथम व दूसरे बिल की जाँच करने पर पाया गया कि आज तक जितना कुल कार्य निष्पादित किया गया था उसमें निम्न मदों में ₹1109756 का विचलन पाया गया :-

S. No.	Particulars	Qty as per DNIT	Qty actually executed	Difference	Rate	Deviation amount
1	Prov. Form work with steel plates	60.23 sqm	178.15 sqm	117.92 sqm	220	25942
2	P/L cc 1:2:4	5.85 cum	16.89 cum	11.04 cum	4500	49680
3	P/L Tor steel	1239.73 kg	2177.08 kg	937.35 kg	62	58116
4	Brick work in cement mortar 1:6	31.70 m3	78.91 m3	47.21 m3	5800	273818
5	Half brick masonry in cm 1:4	8.91 m2	59.63 m2	50.72 m2	730	37025

6	Steel work welded in built-up sections trusses and framed work	18.96 Qtls	107.65 Qtls	88.69 Qtls	7500	665175
	Total Rs....					**1109756**

अत: नगर परिषद द्वारा विचलन विवरण तैयार करके नियमानुसार विचलन ₹1109756 को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाकर **अपेक्षित** अनुपालना से इस विभाग को **भी** अवगत करवाया जाए I

(घ) CGI steel roofing की मद को prepainted sheets roofing में परिवर्तित करने के कारण ₹1.06 लाख का अनावश्यक व्यय करनाः–

जाँच में पाया गया कि ₹403330 का भुगतान ठेकेदार को subsitute मद P/F prepainted steel sheets of 0.60 mm thick मात्रा 381.58 sqm @ 1057/- per sqm के निष्पादन हेतू किया गया जबकि नगर परिषद द्वारा अपने award letter/Estimate/DNIT के अनुसार मद CGI steel roofing का कार्य करवाया जाना था जिसकी कुल लागत ₹161288 थी (मात्रा 206.78 sqm @ 780/- per sqm) जबकि ठेकेदार को 2nd running बिल तक मात्रा 381.58 sqm prepainted sheets roofing का वास्तविक भुगतान किया गया I अगर यह कार्य CGI sheets roofing में करवाया जाता तो ₹105698 की बचत नगर परिषद को होती (381.58 x 780 -381.58 x 1057) I

नगर परिषद डलहौज़ी भारी वितीय संकट से गुजर रही है तथा परिषद के कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने की स्थित्ति में नहीं थी I अत: इस स्थिति में, नगर परिषद द्वारा मद Prepainted sheets के रूप ₹105698 के अतिरिक्त व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी I जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए I इसके अतिरिक्त उपरोक्त मद में भारी विचलन लगभग 85% मात्रा 174.80 sqm दर्ज किया गया है जिस बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए I

15 संविदाकार को ₹6272 के अधिक भुगतान बारेः-

(वाउचर स. 6, माह 7/2016, ₹194007)

Name of work : C/o PCC R/wall near house of Sarla Devi
Name of Contracter : Sh. Vikas Verma, Govt. Contracter
Bill no. : Ist & final running bill
Work order no. 1391/DMC dated 27.10.2015
M.B.no./page no. 14 page 49 to 50

नगर परिषद डलहौज़ी द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य का आबंटन श्री विकास वर्मा संविदाकार को ₹205482.25 में वर्क आडर संख्या – 1391/DMC दिनांक 27.10.2015 द्वारा आबंटित किया गया है I उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित बिल की जाँच/अवलोकन करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं :-

बिल की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार को निम्न विवरणानुसार 62.64 घन मीटर कार्यमात्रा @ ₹3200 की दर से ₹200448 का भुगतान किया गया है जबकि माप पुस्तिका – 14 के पृष्ठ संख्या - 49 में दर्ज कार्य की पैमाईस की जाँच पर पाया गया कि संविदाकार ने वास्तव में कुल 60.68 घन मीटर कार्यमात्रा का कार्य पूर्ण किया था I इस प्रकार संविदाकार को

₹6272 (मात्रा 1.96 X 3200/-) का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

मद का संक्षिप्त विवरण	भुगतान की गई मात्रा	वास्तविक मात्रा	अन्तर	दर	अधिक भुगतान की गई राशि
Item no.3 i.e. P/L cement concrete 1:5:10 and wiring complete excluding cost of form work.	62.64 m3	60.68 m3	1.96 m3	3200	6272

अत: इस अधिक भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹6272 की वसूली उचित स्त्रोत से करके विकास निधि खाते में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए I

16 दिनांक 31.03.17 को विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों से वसूल की गई धरोहर ₹2.92 लाख वापिसी हेतु शेष:-

दिनांक 31.03.17 तक विभिन्न कार्यों हेतु ठेकेदारों से वसूल की गई धरोहर ₹292411 वापिसी हेतु शेष थी जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट " ट "** पर दिया गया है I Limitation act के अनुसार 3 वर्ष से पुरानी धरोहर राशियों को कालातीत समझा जाएगा और ठेकेदारों द्वारा यदि कार्य पूर्ण करने के 3 वर्ष के भीतर अपनी धरोहर राशि वापिस लेने हेतु को प्रार्थना नहीं की जाती है तो उसकी धरोहर राशि को Limitation act के अनुसार जब्त किया जा सकता है I अत: यह सुझाव दिया जाता है कि 3 वर्ष पुरानी धरोहर राशियों का पता लगाकर उन्हें जब्त करके **अपेक्षित** अनुपालना से इस विभाग को **भी** अवगत करवाया जाए I

17 भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा **नगर परिषद डलहौज़ी के विरुद्ध आदेश पारित करने व ₹ 8.09 लाख को EPFO के खाते में हस्तांतरित करना:–** सहायक भविष्य निधि आयुक्त, एस.डी.ए. काम्पलेक्स कसुम्पटी, शिमला-9 के पत्रांक संख्या – RO/SML/COMP/HP-7402/17625 दिनांक 06.01.2016 द्वारा नगर परिषद डलहौज़ी के विरुद्ध Employees Provident Fund & Miscellaneous Provision Act-1952 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों की अनुपालना न करने पर निम्न विवरणानुसार ₹809387 जमा करने बारे आदेश पारित किए थे:-

क्र.स.	अवधि	विवरण	राशि
1	01/11 से 12/12	Establsihment	576348
2	01/11 से 12/12	संविदाकार का दायित्व	233039
	कुल राशि		**809387**

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम – 1952 के प्रावधान दिनांक 08.01.2011 से सभी नगर परिषदों एवं नगर निगमों में लागू थे जिसके बारे में निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या – UD-H(B)(10)-2/2007-1923-72 दिनांक 30.01.2012 द्वारा सभी नगर परिषदों को सूचित किया गया था I

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार नगर परिषद द्वारा जिन संविदाकारों से निर्माण/अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं उन संविदाकारों द्वारा अपने कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान व नियोक्ता शेयर प्रतिमाह भविष्य निधि संगठन में **जमा** किया जाना अपेक्षित था I जिसकी अनुपालना में उन्हीं संविदाकारों से निर्माण/अन्य कार्य करवाए जाने थे जो अपने कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान प्रतिमाह जमा कर रहे थे I इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाना था कि परिषद द्वारा अपने दैनिक भोगी/अनुबंध कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान व नियोक्ता शेयर भी जमा किया जा रहा है I **लेकिन** नगर परिषद के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम -1952 के प्रावधानों की अवहेलना करने के परिणामस्वरूप सहायक भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एस.डी.ए. काम्पलेक्स कसुम्पटी, शिमला-9 द्वारा नगर परिषद डलहौज़ी के विरूद्ध ₹809387 जमा करने के आदेश पारित किए थे लेकिन यह राशि जमा न करवाने के कारण सहायक भविष्य निधि आयुक्त के आदेश संख्या -19206-08 दिनांक 21.03.16 के अंतर्गत नगर परिषद के खाता संख्या -11321778587 SBI विकास निधि से EPFO के खाता संख्या-098585007295 में ₹809387 हस्तांतरित कर दी गई I उपरोक्त हस्तांतरित ₹809387 चयनित माह 03/16 में विकास निधि की रोकड़वही के पृष्ठ संख्या-310 पर भुगतान पक्ष में वाउचर के बिना दर्ज की गयी थी I

अत: इस प्रकरण की नगर परिषद प्रशासन द्वारा आंतरिक स्तर पर छानबीन करवाई जाए I यदि उक्त भविष्य निधि अंशदान राशि संविदाकारों द्वारा जमा करवाई जानी थी तो इस राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में भी कर्चारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए I

18 स्थापना :-

(क) स्थापना पर ₹270.81 लाख का अनियमित व्यय

नगर पालिका अधिनियम -1994 के अनुछेद 53 (1) के अनुसार स्थापना पर कुल व्यय का 1/3 भाग के बराबर राशि खर्च की जा सकती है जबकि जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि (04/2014 से 03/2017) के दौरान स्थापना पर ₹27081387 का अनियमित रूप से अधिक व्यय किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है व विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट " ठ "** पर दिया गया है:-

Years	Total Expenditure	Required 1/3rd expenditure on establishment	Actual expenditure on establishment	Excess expenditure on establishment
2014-15	36873504	12291168	23596942	11305774
2015-16	42305684	14101894	23050460	8948566
2016-17	46198148	15399382	22226429	6827047
Total Rs.				**27081387**

अत: स्थापना पर नियमों में निर्धारित राशि से अधिक ₹27081327 व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं अधिक व्यय की गई राशि की कार्योतर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से

प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए **तथा** भविष्य में बजट प्रावधानों के अनुसार ही व्यय किया **जाना सुनिश्चित किया जाए।**

(ख) श्री करम चन्द, (लिपिक) को कनिष्ठ सहायक के पद पर Placement प्रदान करने पर गलत वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹0.42 लाख का किया गया अधिक भुगतान:-

जाँच के दौरान पाया गया कि श्री करम चन्द, कनिष्ठ सहायक (पूर्व में लिपिक) को कनिष्ठ सहायक के पद पर Placement के परिणामस्वरूप उच्च वेतनमान में गलत वेतन निर्धारण करने के फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹41528/- का अधिक भुगतान किया गया I श्री करम चन्द, कनिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 01.06.2015 को Placement करने पर Grade pay के साथ एक वेतन वृद्धि का वितीय लाभ प्रदान किया गया है जोकि गलत है क्योंकि नियमानुसार उन्हें सिर्फ Grade pay में बढौतरी ही देय थी I

अत: श्री करम चन्द, कनिष्ठ सहायक का वेतन निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित था :-

Shri Karam Chand, Clerk is promoted as junior assistant w.e.f. 01.06.2015 in the pay scale of Rs. 10300-34800+Grade pay Rs.3600/- pm vide E.O. M.C.-Dalhousie office order no. 589/DMC dated 27.05.2015 and his pay fixed as under:-

Period/Date	**Pay fixed by M.C.Dalhousie**	**Pay to be fixed as per rule**
01.08.14	13690+3200=16890	13690+3200=16890
01.06.15	13690+3600=17290	13690+3600=17290
01.08.15	14730+3600=18330	14210+3600=17810
01.08.16	15280+3600=18880	14750+3600=18350
01.08.17	15850+3600=19450	15390+3600=18900

अत: गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप श्री करम चन्द, क० सहायक को ₹41528 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार से है, यधपि नगर परिषद द्वारा पर अपनी गलती को स्वीकारते हुए माह दिसम्बर, 2017 से वेतन का भुगतान अंकेक्षण के परामर्शनुसार किया गया है I

Period	Due				Drawn				Difference (in Rs.)	No. of months	Total excess paid Rs.
	Basic pay + G.P.	D.A.	I.R.	Total	Basic pay + G.P.	D.A.	I.R.	Total			
01.07.15 to 31.07.15	17290	20575		37865	19160	22800		41960	3095	1	4095
01.08.15 to 31.08.15	17810	21194		39004	19740	23490		43230	4226	1	4226
01.09.15 to 31.12.15	17810	21194		39004	18330	21813		40143	1139	4	4556
01.01.16 to 30.06.16	17810	22263		40073	18330	22913		41243	1170	6	7020
01.07.16 to 31.07.16	17810	23153		40963	18330	23829		42159	1196	1	1196
01.08.16 to 31.12.16	18350	23855	918	43123	18880	24544	944	44368	1245	5	6225
01.01.17 to	18350	24589	918	43857	18880	25299	944	45123	1266	6	7596

30.06.17											
01.07.17 to 31.07.17	18350	24589	918	43857	18880	25299	944	45123	1266	1	1266
01.08.17 to 30.11.17	18900	25326	1701	45927	19450	26063	1751	47264	1337	4	5348
कुल योग											**41528**

अत: श्री करम चन्द, (लिपिक) को कनिष्ठ सहायक के पद पर Placement प्रदान करने पर गलत वेतन निर्धारण के कारण उक्त अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹41528 की वसूली सम्बंधित से की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए I

19 सामान्य व अंशदान भविष्य निधि (GPF & CPF):-

अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक सामान्य भविष्य निधि की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है :-

वितीय स्थिति:- (परिशिष्ट " ड ")

वित्तीय वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17
प्रारम्भिक शेष	5153535.20	3372868.20	5198728.20
GPF के रुप में जमा राशि	2041412.00	4305657.00	1425962.00
ब्याज	78596.00	441850.00	223213.00
कुल राशि	7273543.20	8120375.20	6847903.20
व्यय	3900675.00	2921647.00	1175675.00
अंतिम शेष	3372868.20	5198728.20	5672228.20

दिनांक 31.03.17 को रोकड़वही में अन्तिम शेष : ₹5672228.20
दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष : ₹5672228.20
अन्तर की राशि : **शून्य**
दिनांक 31.03.17 को CPF खाते में ₹6300574 जमा थी जिसका विवरण **परिशिष्ट " ढ"** पर दिया गया है I

19 (क) सावधि जमा योजना में निवेशित न करने बारे:-

GPF व CPF खाते में दिनांक 31.03.17 को ₹11972802 (5672228+6300574) शेष थे जोकि बचत खाते में ही जमा थे I अत: नगर परिषद प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि आवश्यकता से अधिक राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित करना सुनिश्चित करें I

अन्य:-

20 (क) ₹0.69 लाख के अग्रिमों का समायोजन न करना :-

विभिन्न उद्देश्यों हेतु नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.17 तक कर्मचारियों को स्वीकृत अग्रिमों की ₹69190 समायोजन हेतु शेष थी जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट " ण "** में दिया गया है I अत: कार्यकारी अधिकारी को परामर्श दिया जाता है कि इन अग्रिम राशियों का समायोजन नियमानुसार शीघ्र किया जाए व सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें I

(ख) विभिन्न अभिलेखों/रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

जाँच के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक विभिन्न अभिलेखों/रजिस्टरों का रख –रखाव नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

i) गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर I

ii) तहबाजारी वसूली रजिस्टर I

iii) मोबाईल टावरों **के** नवीनीकरण **शुल्क** का मांग **एवं** प्राप्ति रजिस्टर I

iv) स्टाफ अग्रिम रजिस्टर I

यह एक अत्यंत गंभीर अनियमितता है I जिसके परिणामस्वरूप वितीय दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है I अत: उपर्युक्त वर्णित रजिस्टरों का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब जिम्मेवारी निर्धारित करके इन रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए **तदानुसार अपेक्षित** अनुपालना से इस विभाग को **भी** अवगत करवाया जाए I

(ग) हिमाचल प्रदेश वन निगम को 1035 पेड़ों की आपूर्ति के एवज में ₹57.45 लाख प्राप्त न करना:-

जाँच में पाया गया कि वर्ष 2012-13 में 3 भागों (Lots) में कुल 1035 पेड़ (देवदार) क्रमश: Lot No.1 =183 पेड़, Lot No.2 = 440 पेड़, Lot No.3 =412 पेड़, की आपूर्ति हिमाचल प्रदेश वन निगम को की गई थी लेकिन इसके एवज में ₹5744947 नगर परिषद द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "त"** पर दिया गया है I गत अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2012 से 03/2014 के पैरा संख्या 30 (iv) में भी इसका उल्लेख किया गया था लेकिन दिनांक 31.03.17 तक यह राशि प्राप्त नहीं की गई थी I यह एक गंभीर वितीय अनियमितता है I अत: इस प्रकरण को नगर परिषद प्रशासन के ध्यानार्थ इस आशय ले लाया जाता है कि ₹5744947 की शीघ्र प्राप्ति हेतु ठोस प्रयास किए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

21 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना :-

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद के विभिन्न भण्डार रजिस्टरों में दर्ज सामान का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अनुसार भण्डार में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना आपेक्षित था I अतः नियमों की अनुपालना से भण्डार का भौतिक सत्यापन न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब भण्डार का भौतिक सत्यापन करके भविष्य में वार्षिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए, की गई कार्यवाही से इस विभाग/ कार्यालय को अवगत करवाया जाए I

22 **लघु आपति विवरणी :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है I

23 **निष्कर्ष :-** लेखों के रख-रखाब में सुधार की आवश्यकता है I

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– V(15) फिन(एल0ए0डी0) खण्ड–4 –4530–4531 दिनांक 27.06.2018
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 कार्यकारी अधिकारी नगर पंचायत डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002 की पैरा संख्या 1 (ख) पर वर्णित गम्भीर अनियतिताओं पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट – "क"

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/61 से 03/62 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	14 (1)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/65 से 03/66 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	12	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/75 से 03/80 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत
1	15 (ii)	अनिर्णीत
2	19 (14)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/83 से 03/87 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत	टिप्पणी
1	9 (V)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I)
2	9 (VI)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I)
3	9 (XXV)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I)
4	13	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में **पैरा पुनः प्रारूपित**)
5	14 (C)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर **अभिलेख** की पुष्टि कर ली गई I)

(ड.) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/87 से 03/89 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत	टिप्पणी
1	3 C (ii)	निर्णीत	₹23569 (7000+7105+9464) वाउचर स.23 व 24 दिनांक 03/1991 के अंतर्गत जमा करवा दी गई थी जिसकी पुष्टि पासबुक से कर ली गई है I

2	7 (A)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा **पुनः प्रारूपित**) (स्टाफ अग्रिम)I
3	9	निर्णीत	₹366 अधिक भुगतान का समायोजन वाउचर स. 31 दिनांक 8/1991के अंतर्गत कर लिया गया जिसकी पुष्टि कर ली गई है I
4	11 (VI)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर, **अभिलेख** की पुष्टि कर ली गई है I

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/89 से 03/92 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत	टिप्पणी
1	8 (ख)	आंशिक निर्णित	
2	8 (घ)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर, **अभिलेख** की पुष्टि कर ली गई है I
3	8 (ड.)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर, **अभिलेख** की पुष्टि कर ली गई है I
4	8 (त)	निर्णीत	(₹300 की वसूली G-8 स. 63/38 दिनांक 04.01.2018 के अंतर्गत कर ली गई जिसकी पुष्टि कर ली गई I)
5	9 (क)	अनिर्णीत	
6	9 (ख)	अनिर्णीत	
7	9 (ग)	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/92 से 03/2002 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत	टिप्पणी
1	9 (5)	अनिर्णीत	
2	9 (6)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
3	9 (7)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
4	9 (8)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I
5	9 (11)	निर्णीत	सभी भुगतान चैक से किये गए थे जिसकी पुष्टि कर ली गई है I
6	9 (15)	अनिर्णीत	

7	11 (1)	अनिर्णीत	
8	11 (3)	अनिर्णीत	
9	12 (1)(1)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि ली गई I
10	12 (1)(3)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
11	12 (2)(1)	निर्णीत	प्रस्तुत DMC प्रस्ताव स.359(च) दिंनाक 09.08.1999 के आधार पर I
12	12 (2)(2)	निर्णीत	प्रस्तुत DMC प्रस्ताव स.-460(ग) दिंनाक 18.07.2003 के आधार पर I
13	12 (2)(3)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर जिसकी पुष्टि पूर्व अंकेक्षण में कर ली गई थी I
14	12 (3)(1)	अनिर्णीत	
15	13 (1)	अनिर्णीत	
16	13 (3)	अनिर्णीत	
17	13 (4)	अनिर्णीत	
18	14	अनिर्णीत	
19	15 (1)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पैरा **पुनः प्रारूपित**)
20	15 (2)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पैरा **पुनः प्रारूपित**)

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2002 से 03/2007 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत	टिप्पणी
1	2 (i)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I
2	2 (ii)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I
3	2 (iv)	अनिर्णीत	
4	3	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा **पुनः प्रारूपित**) (सरकारी अनुदान)I
5	4 (iii)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा **पुनः प्रारूपित**) (किराये व गृहकर की बकाया राशि)I
6	4 (v)(i)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I
7	4 (v)(ii)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I
8	4 (vi)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I

9	4 (viii)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा **पुनः प्रारूपित**) (रजिस्टर को पूर्ण न करना)I
10	4 (ix)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I
11	4 (x)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
12	4 (xi)	निर्णीत	पैरे को पुन: प्रारूपित करके अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/07 से 03/2010 के पैरा स.- में 4.15 में दर्शा दिया गया है I
13	4 (xiv)	निर्णीत	पैरे को पुन: प्रारूपित करके अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/07 से 03/2010 के पैरा स.- में 4.17 में दर्शा दिया गया है I
14	5 (III)	अनिर्णीत	
15	5 (ix)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
16	5 (xii)	निर्णीत	₹7527 की वसूली (`3724/- G-8 स.91/41 दिंनाक 21.03.13 व ₹3803 G-8 स.72/12 दिनांक 14.01.11) के अंतर्गत की गई थी,जिसकी पुष्टि कर ली गई है I
17	5 (xiii)	निर्णीत	₹81 की वसूली G-8 स.24/12 दिंनाक 13.12.10 के अंतर्गत की गई थी,जिसकी पुष्टि कर ली गई है I
18	5 (xiv)	अनिर्णीत	
19	5 (xv)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I
20	5 (xvi)	अनिर्णीत	
21	5 (xix)	अनिर्णीत	
22	6 (i)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I
23	6 (ii)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I
24	6 (v)	अनिर्णीत	
25	6 (vii)	अनिर्णीत	
26	6 (xi)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा **पुनः प्रारूपित**) (प्रत्यक्ष सत्यापन) I
27	7 (i)	अनिर्णीत	
28	7 (ii)	अनिर्णीत	
29	7 (iii)	अनिर्णीत	
30	7 (iv)	अनिर्णीत	
31	8 (i)	अनिर्णीत	

32	8 (iii)(क)	अनिर्णीत	
33	8 (iii)(ख)	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत	टिप्पणी
1	2.3	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
2	4.4	अनिर्णीत	
3	4.6	अनिर्णीत	
4	4.7	अनिर्णीत	
5	4.8	अनिर्णीत	
6	4.10	अनिर्णीत	
7	4.12	अनिर्णीत	
8	4.13	अनिर्णीत	
9	4.14	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
10	4.15	अनिर्णीत	
11	4.17	अनिर्णीत	
12	4.18	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर, रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I
13	4.20	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पैरा **पुनः प्रारूपित**) (प्रत्यक्ष सत्यापन) I
14	5	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
15	5.1	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
16	5.2	अनिर्णीत	
17	5.4	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
18	6	अनिर्णीत	
19	6.2	अनिर्णीत	
20	6.3	अनिर्णीत	
21	6.4	अनिर्णीत	
22	6.5	अनिर्णीत	
23	6.6	अनिर्णीत	
24	6.9	अनिर्णीत	
25	6.10	अनिर्णीत	
26	6.12	अनिर्णीत	
27	6.13	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I

28	6.14	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
29	6.15	अनिर्णीत	
30	6.16	अनिर्णीत	
31	6.17	अनिर्णीत	
32	6.18	अनिर्णीत	
33	6.19	अनिर्णीत	
34	6.20	अनिर्णीत	
35	6.21	अनिर्णीत	
36	6.22	अनिर्णीत	
37	6.23	अनिर्णीत	
38	6.24	अनिर्णीत	
39	6.27	अनिर्णीत	
40	6.29	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
41	6.30	अनिर्णीत	
42	7	अनिर्णीत	
43	7.1 से 7.9 तक	अनिर्णीत	
44	8	अनिर्णीत	
45	8.1 से 8.2 तक	अनिर्णीत	
46	8.3	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
47	8.4	अनिर्णीत	
48	9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पैरा **पुनः प्रारूपित**)

(अ)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2012 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत	टिप्पणी
1	8 (1)(ii)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पुष्टि कर ली गई I
2	8 (1)(iii)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
3	8 (1)(iv)	निर्णीत	₹6166 गृह कर की वसूली बिल स.72/7 दिनांक 15.08.14 के अंतर्गत मांग **जारी** करके कर ली गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण में कर ली गई I
4	8 (2)(II)	निर्णीत	₹3055 जल कर की वसूली बिल स.72/7 दिनांक 15.08.14 के अंतर्गत मांग **जारी** करके कर ली गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण में कर ली गई I
5	8 (3)(II)	निर्णीत	₹5989 सफाई कर की वसूली बिल स.72/7 दिनांक 15.08.14 के अंतर्गत मांग **जारी** करके कर ली गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण में कर ली गई I
6	8 (4)(I)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में **पैरा पुनः प्रारूपित** (दुकानों के किराए की बकाया राशि)I

7	8 (4)(III)	अनिर्णीत	
8	8 (4)(IV)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पुष्टि कर ली गई I
9	8 (5)(II)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पुष्टि कर ली गई I
10	8(8)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पुष्टि कर ली गई I
11	9 (I)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पुष्टि कर ली गई I
12	9 (II)	अनिर्णीत	
13	10 (I)	अनिर्णीत	
14	10 (II)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरे **पुनः प्रारूपित** (सिनेमा हाल के किराये की बकाया राशि)
15	12	अनिर्णीत	
16	14 (1)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
17	14 (3)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पुष्टि कर ली गई I
18	14 (5)	अनिर्णीत	
19	14 (6)	अनिर्णीत	
20	14 (7)	अनिर्णीत	
21	14 (9)	अनिर्णीत	
22	14 (10)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
23	14 (11)(II)	अनिर्णीत	
24	14 (12)(1)	अनिर्णीत	
25	14 (12)(2)	अनिर्णीत	
26	14 (12)(3)	अनिर्णीत	
27	14 (13)(1)	अनिर्णीत	
28	14 (13)(3)	अनिर्णीत	
29	14 (13)(5)	अनिर्णीत	
30	15 (2)	निर्णीत	अंकेक्षण अवधि 04/12 से 03/14 में यह पैरा आंशिक निर्णित था जिसकी पूर्ण राशि की वसूली 4/13 से 07/16 तक प्रति माह ₹1000 वेतन से कर ली गई व शेष राशि G-8 स.70/26, 71/26 व 72/26 के अंतर्गत ₹2000 प्रति कर ली गई थी जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई I
31	15 (3)	निर्णीत	₹63420 की वसूली वाउचर स. 21 11/17 के अंतर्गत कर ली गई जिसकी पुष्टि कर ली गई I
32	16 (2)	निर्णीत	₹90 की वसूली G-8 स.31/38 दिनांक 27.11.17 के अंतर्गत कर ली गई जिसकी पुष्टि कर ली गई I
33	17 (1)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
34	17 (2)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पुष्टि कर ली गई I
35	18 (1)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पुष्टि कर ली गई I

36	18 (3)	अनिर्णीत	
37	18 (4)	अनिर्णीत	
38	18 (5)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पुष्टि कर ली गई I
39	18 (6)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में **पैरा पुनः प्रारूपित** (प्रत्यक्ष सत्यापन) I

(ट)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2014 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत	टिप्पणी
1	5 (क)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई व इसके अतिरिक्त पैरे को वर्तमान अंकेक्षण में **पुनः प्रारूपित** भी कर दिया गया है I
2	5 (ख)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I
3	5 (ग)	अनिर्णीत	
4	6 (1)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा **पुनः प्रारूपित**
5	6 (2)	अनिर्णीत	
6	6 (3)	अनिर्णीत	
7	6 (4)	अनिर्णीत	
8	7	अनिर्णीत	
9	7.1	निर्णीत	₹9318 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से कर ली गई थी जिसकी पुष्टि कर ली गई I
10	7.2	निर्णीत	₹6978 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से वाउचर स. 22 माह 11/17 के अंतर्गत कर ली गई, जिसकी पुष्टि कर ली गई है I
11	7.3	निर्णीत	₹9576 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से माह 12/17 के अंतर्गत कर ली गई, जिसकी पुष्टि कर ली गई है I
12	7.4	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
13	8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा **पुनः प्रारूपित** (स्टाफ अग्रिम) I
14	9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा अपडेटेड कर दिया गया (मोबाईल टावर नवीनीकरण फ़ीस की बकाया राशि) I
15	10	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा अपडेटेड कर दिया गया (गृह कर की बकाया राशि) I
16	10.1	अनिर्णीत	
17	10.2	अनिर्णीत	
18	10.3	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर आधार पर रिकार्ड की पुष्टि

			कर ली गई (गृहकर) I
19	11	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा **पुनः प्रारूपित**
20	11.1	अनिर्णीत	
21	12	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा **पुनः प्रारूपित**
22	13	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा **पुनः प्रारूपित**
23	14	अनिर्णीत	
24	15	अनिर्णीत	
25	15.1	अनिर्णीत	
26	16	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा **पुनः प्रारूपित** (कम्युनिटी हॉल के निर्माण कार्य में किया गया अनियमित व्यय)I
27	17 (I)	अनिर्णीत	
28	17 (II)	अनिर्णीत	
29	17 (II)(क)	अनिर्णीत	
30	17 (II)(ख)	अनिर्णीत	
31	17 (III)	अनिर्णीत	
32	18 (1)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर I
33	18.1	निर्णीत	₹1640 की वसूली ठेकेदार की प्रतिभूति राशि से कर ली जोकि पृष्ठ स.20 पर दर्ज है जिसकी पुष्टि कर ली गई I
34	19	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I
35	20	निर्णीत	₹13863 की वसूली ठेकेदार की धरोहर ₹10889 व G-8 स. 65/38 दिनांक 05.01.18 ₹2974 के अंतर्गत की गई जिसकी पुष्टि कर ली गई I
36	21	निर्णीत	हॉउस के प्रस्ताव स. 212(28) दिनांक 26.05.15 के अंतर्गत विचलन को **अनमोदित** कर दिया गया जिसकी पुष्टि कर ली गई I
37	21.1	निर्णीत	₹595/- की वसूली ठेकेदार की धरोहर राशि से कर ली गई रजिस्टर पृष्ठ स.-22 पर दर्ज है ,जिसकी पुष्टि कर ली गई I
38	22	अनिर्णीत	
39	22.1	अनिर्णीत	
40	22.2	अनिर्णीत	
41	22.3	निर्णीत	सम्बन्धित कार्य में **सहायक अभियन्ता** द्वारा **माप पुस्तिका संख्या 9** के पृष्ठ स. 59,60 व 61 में **मूल्यांकन** कर लिया गया था जिसकी पुष्टि कर ली गई I

42	23 (क)	अनिर्णीत	
43	23.1	अनिर्णीत	
44	23.2	निर्णीत	सम्बन्धित कार्य में **सहायक अभियन्ता** द्वारा **माप पुस्तिका संख्या 9** के पृष्ठ स. 64 व 66 में **मूल्यांकन** कर लिया गया था जिसकी पुष्टि कर ली गई I
45	24	निर्णीत	राशि 317/- की वसूली ठेकेदार की धरोहर राशि से कर ली गई रजिस्टर पृष्ठ स.-32 पर दर्ज है ,जिसकी पुष्टि कर ली गई I
46	25	निर्णीत	फर्नीचर का क्रय BRGF निधि के अंतर्गत किया गया था तथा इसका प्रयोग **विश्राम गृह** में किया जा रहा है I
47	25.1	निर्णीत	भुगतान चैक द्वारा अधिकतर सरकारी कार्यालय में किया गया था जोकि पारदर्शिता को दर्शाता है I
48	26	निर्णीत	वर्तमान में वाहन HP-47-3812 की Log Book में प्रति माह गाड़ी की औसत की गणना की जा रही है, जिसकी पुष्टि कर ली गई I
49	26.1	अनिर्णीत	
50	26.2	अनिर्णीत	
51	27 (i)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा **पुनः प्रारूपित** कर दिया गया (पेन्शन)I
52	28	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा **पुनः प्रारूपित** कर दिया गया (सामान्य भविष्य निधि)I
53	28.1	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पुष्टि कर ली गई I
54	28.2	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पुष्टि कर ली गई I
55	29	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड की पुष्टि कर ली गई I
56	30 (i)	अनिर्णीत	
57	30 (ii)	अनिर्णीत	
58	30 (iii)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा **पुनः प्रारूपित** कर दिया गया I
59	30 (iv)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा **पुनः प्रारूपित** कर दिया गया (वन निगम को 1035 पेड़ो की आपूर्ति बारे)

लघु आपति विवरणी:-

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 07/58 से 03/59 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत	टिप्पणी
1	8 (A)	अनिर्णीत	
2	34	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/62 से 03/64 तक

क्रम स.	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत	टिप्पणी
1	2	अनिर्णीत	
2	9	अनिर्णीत	
3	11	अनिर्णीत	
4	21	अनिर्णीत	
5	22	अनिर्णीत	
6	31	अनिर्णीत	
7	37	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति

प्रारम्भिक शेष	228
अंकेक्षण के दौरान निपटाए गए पैरे	110
वर्तमान रिपोर्ट में नए पैरे लगाए गए	19
अन्तिम शेष	137